

विक्रय-पत्र

बैनामा :- 3,00,000/- रुपये

बाजारी मालियत :- 3,07,350/- रुपये

स्टाम्प शुल्क :- 30,000/- रुपये

इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क :- नहीं

वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क :- नहीं

स्टाम्प शीटों की संख्या :- 9 फिले

विक्रित सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल :- 0-0683 हेक्टेयर

वार्षिक लगान :- 1/- रुपये 70 पैसे

अर्थात् 683 वर्ग मीटर

विक्रित सम्पत्ति का विवरण :- कृषि भूमि

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक, और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार व एक मंजिली अथवा बहुमंजिली)

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण है तो) :- नहीं

स्थित ग्राम :- पुढाना मुस्तकम परगना भगवानपुर तहसील रुकी जिला हरिद्वार

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय, अर्द्धनगरीय आदि)

क्रेता तथा विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा जन जाति से संबंधित है अथवा नहीं :- नहीं

विक्रेता का स्वामित्व का आधार :- भूमिदारी

भूमि पट्टे आदि की है अथवा नहीं :- नहीं

चकयन्दी चल रही है अथवा नहीं :- चल रही है

कृषि भूमि की स्थिति में :- सिंचित

(बाग, सिंचित / असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट में पृष्ठ संख्या व कालम संख्या :- 9 क्रमांक -3 सर्किल रेट :- 450/- रुपये प्रति वर्गमीटर

आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर :- अन्दर

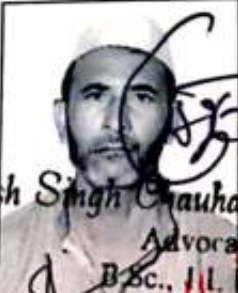
मुख्य सड़क से दूरी (50 मी अथवा 50 मी से ज्यादा) :- 50 मीटर से अधिक

क्या क्रेता उत्तरांचल का कृषक है अथवा नहीं :- अपल सम्पत्ति है

फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणित कर्ता :- जगदीश सिंह चौहान रजिस्ट्रार रुकी

विक्रेता का नाम, पिता का नाम व पता :- मुस्तकीम पुत्र श्री नाजर निवासी ग्राम पुढाना

परगना भगवानपुर तहसील रुकी जिला हरिद्वार।


Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., I.L.B.
Regn. No. 4367
Civil Court, Roorkee


Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., I.L.B.
Regn. No. 4367
Civil Court, Roorkee

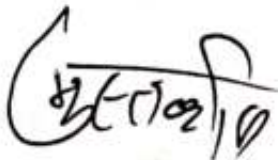

Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., I.L.B.
Regn. No. 4367
Civil Court, Roorkee

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तांतरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ब्रह्म आदि महकमें 'बैंक, सोसायटी आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नहीं है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तांतरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप सक्षम है। अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मन युक्ति तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दबाव के निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले मुखलिखित 3,00,000/- तीन लाख

रुपये मे हाथ श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री पतर रैन जैन निवासी 490 पुरानी
तहसील रऊकी व पपन कुमार गोयल पुत्र श्री डी० पी० गोयल निवासी 13
ति पिल लाइन रऊकी परगनाय तहसीलरऊकी जिला हरिद्वार ।

को विक्रय व हस्तांतरित कर दी है तथा कुल मूल्य राशि की प्राप्ति को ध्याना निम्नलिखित है तत्पश्चात् इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रहे और न भविष्य में होगा। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी व काई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है अब प्रतिज्ञ वचन देते और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करें हर प्रकार से अपने भोग व ब्रयोंग में लावें और जो चाहें सो करें अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को, विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी वाद-विवाद करने पर निम्न सम्पत्ति कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात खास जायदाद से वसूल कर लेंगे इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को उजर कोई नहीं होगा नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जोकि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आमद होता है का पूरा-पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अतः यह विक्रेय-पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।
विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है। जोत चक्कन्दी आकारपत्र 23 के अनुसार चक स० 121 का
प्रथम चक ,प्रस्तावित गाटानम्बरान 290 रकबा 0-0020 हेक्टेयर व 291 मि०
रकबा 0-1598 हेक्टेयर रकबाई कुल 0-1618 हेक्टेयर भूमि मे से रकबाई 0-0683









499502

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★ ★ ★ ★ ★
कृषि
कोट संख्या 3500
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
xx 2007 - 2008 ++

हेक्टेयर भूमि अर्थात् 683 वर्ग मीटर लगानी 1/- सय 70 पैसे सालाना

जानिव पूरब स्थित ग्राम पृढाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील -

(Signature)

PC Jan

(Signature)



उत्तरांचल UTTARANCHAL

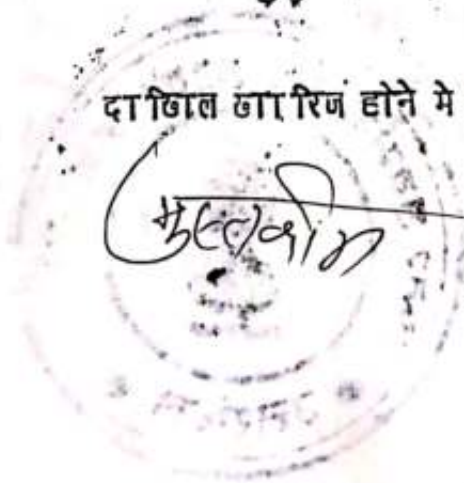
499441

★ ★ ★ कोषाधिकारी ★
हड़की ★
कोड संख्या 5500 ★
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
× × 2007 - 2008 + +

१५

रुकी जिला हरिद्वार, पिब्य की है । विक्रेता, क्रेता के नाम

दाखिल गारिज होने मे पूरा पूरा सहयोग करेगा । विक्रीत



P. C. Jain

[Signature]



499455

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कोषाधिकारी
रहकी
कोड संख्या 5500
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
xx 2007 - 2008 ++

॥ 5 ॥

भूमि कागज की भूमि है परन्तु विक्रीत रक्का 1000 वर्ग मीटर से कम होने के कारण आबादी का रेट 450/- सप्तेप्रतिमर्ग मीटर की दर से स्टाम्प

मुक्तिजी
Rajtan
Mof



A 308928

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★ ★ अधिकारी ★

रकबा

कॉट संख्या 5500

25 JAN 2007

XXXXXXXXXX

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

xx : 007 - 2008 ++

॥ 6॥

अदा किया है जबकि कृषि भूमि का रेट 6,50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है

मय जुमला एक एक दरप्रकार सहित

भुक्तिकी

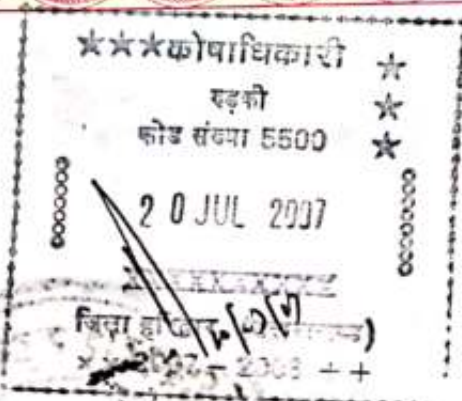
15 Jan

11/01/07



चल UTTARANCHAL

926942



तमसील वसूल याबी जरेसमन :- कुल मूल्यराशि मे से मु० 1,00,000/-रमये
 क्रेता से पेशगी प्राप्त करलिये है और मु० 2,00,000/-रमये क्रेता से नकद
 प्राप्त करलिये है अब कोई मूल्यराशि शेष नही रही हैऔर न ही भविष्य
 मे होगी ।

विक्रेता के पाँचों अँगुलियो के निशान :-



(हस्ताक्षर)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तरांचल UTTARANCHAL

***कोषाधिकारी	☆
रहस्यी	☆
कोड संख्या 5500	☆
0 JUL 2007	
B	
X	
जिला हजिअर (1/2/2)	
x x 2007 - 2008 + +	

प्रेता के पाँचों अंगुलियों के निशान :-

RC Jani

प्रेता के पाँचों अंगुलियों के निशान :-

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

रु. 100



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ल UTTARANCHAL

926944

★ ★ ★ कोषाधिकारी ★ ★ ★
रकमी
कोड संख्या 6500
20 JUL 2007
जिला हरिद्वार
x x 2007 - 2008 + +

हस्ताक्षर

PC

पुष्प

गवाह :-

हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर कोषाधिकारी मोरम)
रि. इनामिपर
पुष्प

तारीख:- 30-7-2007 ई0

फोटो प्रमाणित व

डाफतीडबाई :- जगदीश सिंह चौहान रकमोकेरुकी

टाइप कर्ता :- धूमतिहरुकी

पुष्प

गवाह :-
मो. 0214 8544 72 मरान
गण्डेडा उल्लुपु
नारायणपु

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर-प्रथम श्रेणी, रुड़की।

वाद सं०- 221 / 2008

अन्तर्गत धारा-143 ज०वि०अधि०
मौजा-पुहाना मुस्तहकम
परगना-भगवानपुर
तह०-रुड़की जिला-हरिद्वार।

प्रेमचन्द जैन आदि



बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतार रीन जैन व श्रीमती कोमल जैन पत्नी प्रेमचन्द जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रुड़की जगपद हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12 मई, 2008 के आधार पर योजित हुआ। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मौजा ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से रकबई 0.0683 है० भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, रुड़की से जांच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, रुड़की द्वारा अपनी जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 14-05-2008 को निर्धारित प्रारूप नियम-135 पर आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मौजा-पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से रकबई 0.0683 है० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। मौके पर कृषि कार्य जिसमें मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी शामिल है, के प्रयोग में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से कुल रकबई 0.0683 है० भूमि पर मौके पर उद्योग हेतु टीनशैड डालने की कार्यवाही हो रही है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूमि को ज०वि० अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार, रुड़की की आख्या/संस्तुति दिनांक 14-05-2008 के आधार पर मौजा-पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या-121 के खसरा संख्या-290मि. रकबा 0.0020 है०, 291मि. रकबा 0.1598 है० कुल 2 किता रकबई 0.1618 है० में से कुल रकबई 0.0683 है० भूमि को ज०वि० अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी होंगे। पत्रावली याद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार में संचित होंगे।

दिनांक- 13-05-2008

Copied by :

Compared by :

Examined by :

(हरीश चन्द्र कोण्डपाल)

उप जिलाधिकारी/

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
रुड़की।

सत्य प्रविष्टि

रेकर्ड

of Application- 290
of Application- 19-5-08
of Notice- 19-5-08
of Issue- 19-5-08

Factory
(C.B.B.)

सहायक चकबन्दी

(142)

613 Hek

कृषालये बन्धोधस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की.
अनुमति धारा-5 ग.जो. च.अ.
प्रार्थना पत्र सं०-36

प्रेम चन्द जैन आदि वनाग सरकार
ग्राम पुढाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार,
अनुमति-पत्र

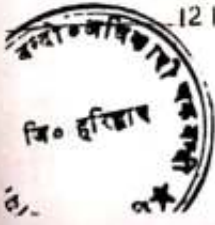


श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतरसैन जैन व कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन निवासी
गण 490 पुरानी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं०-121 के प्रस्तावित
गाटा सं०-290 गि. 0.0020 हे०, 29 गि. 0.1598 हे० में से रकबर्द 0.083 हे०
भूमि पर कृषिक कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ / पुढता निर्माण आवादी निर्माण
औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान की जाये।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या प्राप्त
की गयी। स.च.अ. ने आख्या में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण उक्त भूमि के सह-
जातेदार स्वामी है तथा अपने भाग की भूमि पर का विज है। इस भूमि के सम्बन्ध में
किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। जिसके सम्बन्ध में शपथ
पत्र सलग्न है। यह भूमि जो.च.अ.-21 में भी सुरक्षित नहीं की गयी है। स.च.अ.
द्वारा अपनी आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है कि चक सं०-121 के सम्बन्ध में -
प्रार्थीगण ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई
वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। ग्राम सभा की ओर से प्रधान ग्राम
सभा ने भी अपनी सहमति दी है जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि
प्रार्थीगण को उक्त प्रयोजनार्थ अनुमति दिये जाने से ग्राम सभा को कोई हानि नहीं है
इसे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत सहायक चकबन्दी अधिकारी की
आख्या, प्रधान ग्राम सभा एवं उपरोक्त चक के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलो-
कन किया। ग्राम सभा की ओर से प्रधान ग्राम सभा ने सहमति प्रस्तुत की है। प्रश्न -
यत भूमि जोत चकबन्दी आकार-पत्र-21 में भी सुरक्षित नहीं किया गया है। इसलिये
उल्लिखित तथ्यों के आधार पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ / पुढता निर्माण
आवादी निर्माण औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति दी जा सकती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतरसैन -
जैन व श्रीमति कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है -
ग्राम पुढाना मुस्तहकम, परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं०-
121 के प्रस्तावित गाटा सं०-290 गि. 0.0020 हे०, व 291 गि. 0.1598 हे० में से



P.T-0

2017/12/15

80-70-10
2581.5

80-40-211185 1-51

8-17-51
 1000000 11111 21111
 11111 11111 11111 11111 11111

। एतत् तु यथाहं ब्रूयामि तथैव भविष्यति ।

1. Heckler

மேலே உள்ளது 06 டிசம்பர் 1982 ல் உட்கார்ந்திருந்தபோது உட்கார்ந்திருந்தபோது

— 1213 —

185 13 11 10 12 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

-2-

Scanned with CamScanner